

**बजट अनुमान 2016-2017**

वर्ष 2016-17 का बजट अनुमान संशोधित अनुमानों की तुलना में ₹ 1,92,669 करोड़ की निवल वृद्धि दर्शाता है। आयोजना-भिन्न व्यय और आयोजना व्यय में क्रमशः ₹ 1,19,856 करोड़ और ₹ 72,813 करोड़ की वृद्धि रही है। अन्तर के लिए प्रमुख मदें नीचे दर्शायी गई हैं:

(करोड़ रुपए)			
	संशोधित 2015-16	बजट 2016-17	घट-बढ़ कमी(-)/ वृद्धि(+)
<b>आयोजना-भिन्न</b>			
1. ब्याज भुगतान	442620	492670	(+) 50050
2. पेंशन	95731	123368	(+) 27637
3. रक्षा	224636	24099	(+) 24463
4. राज्य सरकारों को अनुदान	105346	115645	(+) 10299
5. पुलिस	52680	59796	(+) 7116
6. शिक्षा	12811	14551	(+) 1740
7. डाक घाटा	6749	8416	(+) 1667
8. चुनाव	2211	3731	(+) 1520
9. कृषि एवं संबद्ध सेवाएं	2734	4016	(+) 1282
10. सस्सिडी	257801	250433	(-) 7368
11. अन्य आयोजना-भिन्न व्यय	104875	106325	(+) 1450
<b>जोड़ आयोजना-भिन्न व्यय</b>	<b>1308194</b>	<b>1428050</b>	<b>(+)119856</b>
<b>आयोजना</b>			
1. केन्द्रीय आयोजना	261089	308110	(+) 47021
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	216108	241900	(+) 25792
<b>जोड़ आयोजना व्यय</b>	<b>477197</b>	<b>550010</b>	<b>(+) 72813</b>
<b>जोड़ व्यय (आयोजना+आयोजना भिन्न)</b>	<b>1785391</b>	<b>1978060</b>	<b>(+)192669</b>

**आयोजना-भिन्न**

- वृद्धि ऋण में कमी करने के लिए प्रीमियम का समय-पूर्व भुगतान, बाजार ऋण, नकदी प्रबंधन हुंडियों पर बढ़ा, राजकोषीय हुंडियों, राज्य भविष्य निधियों, लघु बजट संग्रहणों और विशेष जमाराशियों के अंतर्गत अधिक आवश्यकताओं के कारण है।
- 'वन रैंक वन पेंशन' के क्रियान्वयन के कारण मुख्यतया रक्षा पेंशन के कारण।
- वृद्धि, पूंजी अधिग्रहण हेतु आवश्यकता सहित राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु धन की अधिक आवश्यकता के कारण हुई है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को अनुदानों के अंतर्गत अधिक जरूरत के कारण वृद्धि हुई है।

- आंतरिक सुरक्षा हेतु अधिक जरूरत के कारण।
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन, एनसीईआरटी, नवोदय विद्यालय समिति जैसे स्वायत्त निकायों को अधिक अनुदानों के कारण वृद्धि हुई है।
- मोटे तौर पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से वेतन और भत्तों व पेंशन के अंतर्गत अधिक जरूरत के कारण।
- लोक सभा चुनाव कराने के लिए प्रभारों को आगे लाने की देनदारी पूरी करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सामान्य चुनाव खर्च संबंधी केन्द्र सरकार के हिस्से की पुनर्पूर्ति हेतु अधिक जरूरत होने के कारण।
- मुख्यतया कृषि अनुसंधान हेतु अधिक प्रावधान करने के कारण वृद्धि हुई है।
- उर्वरक सस्सिडी और पेट्रोलियम सस्सिडी के अंतर्गत कम आवश्यकता होने के कारण कमी हुई है।
- मोटे तौर पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के कारण अधिक जरूरत हुई।

**आयोजना**

- वृद्धि मुख्यतया कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, परमाणु ऊर्जा, वाणिज्य, औद्योगिक नीति और संवर्धन, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता मामले, संस्कृति, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्वास्थ्य अनुसंधान, गृह, आवास और शहरी गरीबी उपशमन, उच्चतर शिक्षा, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक मामले, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पंचायती राज, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, विद्युत, सड़क, परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, भू-संसाधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पोत परिवहन, कौशल विकास और उद्यमशीलता, विकलांग जन सशक्तिकरण, अंतरिक्ष, पर्यटन, शहरी विकास, जल संसाधन, महिला और बाल विकास, युवा कार्यक्रम एवं खेल और रेलवे मंत्रालयों/विभागों को उपलब्ध कराए गए अधिक परिव्ययों के कारण हुई है।
- वृद्धि मुख्यतया कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण, पशुपालन, डेरी और मात्स्यिकी, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, गृह, आवास और शहरी गरीबी उपशमन. अल्पसंख्यक मामले, सड़क परिवहन और राजमार्ग, ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जनजातीय कार्य और शहरी विकास मंत्रालयों/विभागों की राज्य आयोजना स्कीमों के कारण हुई है।